

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ - 1/16514

भोपाल, दिनांक 18/11/2022

प्रति,

कलेक्टर,

जिला - श्योपुर, सीधी, उमरिया, डिण्डोरी, शहडोल, अनूपपुर, नर्मदापुरम,
धार, झाबुआ, रतलाम, अलिराजपुर, खरगोन, बडवानी, खण्डवा,
बुरहानपुर, बैतूल, सिवनी, मण्डला, बालाघाट एवं छिंदवाडा म0प्र0।

विषय:- मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 -
(पेसा नियम) संबंधी विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन बावत।

संदर्भ :- म0प्र0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक
16512.. दिनांक 18/11/2022

-00-

कृपया, विषयान्तर्गत प्रेषित संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके
अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन की तिथियाँ
कलेक्टरस जिला प्रभारी मंत्री जी से परामर्श कर तय करेंगे। संदर्भित पत्र द्वारा दिये
गये निर्देशानुसार ग्राम सभाओं के आयोजन के अतिरिक्त 31 दिसम्बर 2022 तक
निम्नानुसार कार्यवाही प्राथमिकता से की जावे -

1. ग्राम सभा की विभिन्न समितियों का गठन, यथा - शांति एवं विवाद निवारण
समिति, वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति।
2. "ग्राम सभा निधि" के लिए निकटतम बैंक में खाता खोला जाना।

मलय श्रीवास्तव
(मलय श्रीवास्तव) 18/11/2022

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

11211

पृ. क्रमांक/एफ - 1 / 16515
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 11/11/2022

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. उप सचिव, म0प्र0 शासन, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ वन/ गृह/ जल संसाधन/ महिला एवं बाल विकास/ किसान कल्याण तथा कृषि विकास/ मत्स्यपालन/ जनजातीय कार्य/ अनुसूचित जाति कल्याण/ राजस्व/ वाणिज्य कर/ श्रम/ खनिज संसाधन/ सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभा/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास/ स्कूल शिक्षा की ओर ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संभागायुक्त संभाग चम्बल, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन एवं जबलपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत - श्योपुर, सीधी, उमरिया, डिण्डोरी, शहडोल, अनूपपुर, नर्मदापुरम, धार, झाबुआ, रतलाम, अलिराजपुर, खरगोन, बडवानी, खण्डवा, बुरहानपुर, बैतूल, सिवनी, मण्डला, बालाघाट एवं छिंदवाडा म0प्र0।

म ल प 18/11/2022

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग